कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी

क्र/स्था/404/स्था-1/2012 धमतरी दिनांक 13-01-2012

/ / विज्ञापन-I/ /

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर का पत्र कमांक–1734/वित्त/ब–4/चार, रायपुर दिनांक 24 नवम्बर 2011 के तारतम्य में जिला कार्यालय धमतरी में रिक्त पदो के विरूद्व सहायक ग्रेड–3/स्टेनो टायपिस्ट/ चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार/ फर्राश/प्रोसेस सर्वर) /वाहन चालक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 21/02/2012 अपरान्ह 5.00 बजे तक है ।

क्रमांक	पदनाम	वर्ग / पद संख्या															कैफियत
		अ.जा.			अ.ज.जा			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग			
		मुक्त	महिला	रिमार्क	मुक्त	महिला	रिमार्क	मुक्त	महिला	रिमार्क	मुक्त	महिला	रिमार्क	मुक्त	महिला	रिमार्क	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
01	सहायक ग्रेड 3	03	01	—	03	02	—	01		—	05	02	02 पद भू.सै. एवं 01 पद विकलांग	12	05	02 पद भू.सै. एवं 01 पद विकलांग	
02	स्टेनो टायपिस्ट	01	-		01	01		-	—	—	03	02	01 पद भू.सै. एवं 01 पद विकलांग	06	02	01 पद भू.सै. एवं 01 पद विकलांग	
03	चतुर्थ श्रेणी	03	01	01 पद भू.से.	-	01					14	06	02 पद भू.से. एवं 02 पद विकलांग	17	08	03 पद भू.से. एवं 02 पद विकलांग	
04	वाहन चालक	02						02	--	-	05	-	01 पद भू.से. एवं 01 पद विकलांग	09		01 पद भू.से. एवं 01 पद विकलांग	

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

(1) स्टेनो टायपिस्ट के पद के लिए :–

अ. वेतनमान बेतन बैण्ड रूपये 5200–20200 ग्रेड–वेतन रूपये 1900

ब शैक्षणिक योग्यता :–

01 मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

02 मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति ।

03 मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंक में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए ।

(2) सहायक ग्रेड–3 पद हेतु योग्यता :–

अ. वेतनमान बेतन बै ये 5200–20200 ग्रेड–वेतन रूपये 1900

ब शैक्षणिक योग्यता :–

1 मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

2 मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा ।

3 कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए ।

(3) वाहन चालक पद हेतु योग्यता :–

अ. वेतनमान बेतन बैण्ड रूपये 5200–20200 ग्रेड–वेतन रूपये 1900

ब शैक्षणिक योग्यता :–

1 पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण (आठवी पास)

2 हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो ।

3 शासकीय कार्यालय में (अस्थायी/संविदा) वाहन चालन के अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जावेगी तथा बोनस अंक दिया जायेगा ।

(4) चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार/फर्राश/प्रोसेस सर्वर) पद हेतु योग्यता :–

अ. वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 4750–7440 ग्रेड–वेतन रूपये 1300

ब शैक्षणिक योग्यता :– न्यूनतम योग्यता आठवी पास

टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि , वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित

किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि , आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है । अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पद के विरूद्व ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जायेंगें, आरक्षित पद के विरूद्व नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–

01 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा । कार्यरत शासकीय सेवक अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करेगें ।

अ. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

ब. कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001को या उसके प्श्चात हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

02 दिनांक 01 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो , परन्तु 35 वर्ष की आयु से अधिक न हों ।

03 **उच्च्तम आयु सीमा में छूट :–**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25/93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

04 छत्तीसगगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक– एफ–3–2/2022/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदो के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिये 35 वर्ष रहेगी । उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्गो के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है , वह छूट रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

05 विधवा/परितक्ता /तलागशुदा महिला आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

नियम एवं शर्ते

01 आवेदक का चयन प्रावीण्यता के आधार पर किया जाएगा ।

02 चयनित आवेदकों की नियक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी । उन्हें किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व अन्तर जिला स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

03 आवेदक रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करे ।

04 ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हे अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

05 भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने के लिये कार्यालय प्रमुख के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगें ।

06 अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

07 चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

08 उपरोक्त विज्ञापित पद की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढ़ाया /कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है ।

09 चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला कार्यालय के अन्तर्गत किसी भी अनुभाग तहसील में की जा सकती है ।

10 विकलांग उम्मीद्वार विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे ।

11 साक्षात्कार के समय अपने शैक्षणिक एवं अन्य समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसके आभाव में साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

चयन प्रकिया

01 उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र प्रायोगिक कौशल परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा । न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताक के आधार पर , प्रायोगिक कौशल परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्तांकों को जोडकर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा । उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

02 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी । जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, अर्थात जो उम्र में बड़े होगे, उन्हे वरीयता प्रदान की जाएगी ।

03 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के सबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा ।

04 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूलप्रति के साथ प्रमाणित छायाप्रति भी प्रस्तुत करना होगा ।

05 चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय मे चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रायपुर, छत्तीसगढ़ से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा ।

आवेदन पत्र एवं अन्य निर्देश :–

1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि छत्तीसगढ़ अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये 50.00 शुल्क तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु 100.00 रूपये शुल्क देय होगा । विशेष पिछड़ी जनजाति (Primitive Tribal) के लिये निःशुल्क होगा ।

2 आवेदक स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा से आवेदन शुल्क का डी.डी. कलेक्टर जिला धमतरी के नाम ,जो स्टेट बैंक में देय हो बनवाकर भेजेगा । **डी.डी. के पीछे आवेदक अपना नाम, पता आवेदित पद का नाम तथा कोड नम्बर अवश्य लिखें** । धमतरी शहर के आवेदकों से बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा । **धमतरी शहर के अतिरिक्त अन्य किसी शहर या स्थान का बैंकर्स चेक मान्य नहीं होगा** ।

3 आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क संलग्न नही करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा ।

4 जो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तो के अनुसार नहीं होगें उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी जिला कार्यालय के वेबसाईट (**http://www.dhamtari.nic.in**) से भी प्राप्त की जा सकती है । आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर **A-4** साईज पेपर में ही प्राप्त करें, अन्य पेपर साईज में डाउनलोड कर भरे गये आवेदन मान्य नहीं होगें ।

6 आवेदन पत्र भेजने का पता

कलेक्टर
जिला–धमतरी (छ.ग.)
पिन कोड – 493773

टीप :– आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की शुल्क भी नही लौटाई जावेगी ।

आवेदन पत्र एवं अन्य बाते :–

01 अभ्यर्थी को पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । किसी अभ्यर्थी से एक पद के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें ।

02 एक से अधिक पद के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी आवेदन शुल्क पृथक–पृथक लगाना होगा ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश :–

01 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं । फोटो पर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है ।

02 स्वयं का पता लिखे दो लिफाफे (12c.m.X25c.m.) अवश्य भेजें । आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/-- रूपये का डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर उन्हें आवेदन पत्र के पंजीयन की सूचना कार्यालय द्वारा भेजी जायेगी ।

03 आवेदन पत्र के लिफाफे पर " विज्ञापन कमांक एवं आवेदित पद का नाम एवं कोड नम्बर बडे अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें । लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों की Sorting संभव नहीं हो पाता । अतएव यदि लिफाफे पर विज्ञापन कमांक एवं पद का विवरण न देने से आवेदन पत्र प्रोसेस करने में चूक हो तो कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे पर विज्ञापन कमांक एवं पदनाम लिखा जाना केवल आवेदन पत्रों की Sorting के लिये है, परन्तु चयन की प्रकिया में आवेदकों के मूल आवेदन पत्र के इन्द्राज ही अर्हता निर्धारण हेतु विचार के लिये जाते है । अतः अभ्यर्थी यह ध्यान दे कि आवेदन पत्र के सभी आवश्यक खण्ड /खाने ठीक ढंग से भरे गये है ।

04 भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी में अंतिम तिथि 21.02.2012 के शाम 5.30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करें । यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजे जाते है तो दिनांक 21.02.2012 के शाम 5.30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी में प्राप्त आवेदन ही विचार में लिये जायेगें । डाक के विलम्ब के लिये कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी जिम्मेदार नहीं होगा ।

अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :–

01 प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें ।

02 यदि अभ्यर्थी के द्वारा कार्यालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो उसे अत्यंत गम्भीरता से लेते हुए कार्यालय द्वारा कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा ।

03 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा ।

04 कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

05 मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा । इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है अथवा दी गई हो तो इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

06 विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश /जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार कार्यालय का रहेगा। एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कार्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा ।

07 कार्यालय द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रकिया से संबंधित विभिन्न जानकारी अभ्यर्थियों के हितार्थ समय समय पर कार्यालय की वेब-साईट (**http://www.dhamtari.nic.in**) में दी जाती है । अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि कार्यालय की वेब–साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें ।

कलेक्टर
धमतरी